



एवं राजस्व रेकर्ड में मै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है तथा रास्ते में जाने वाली भूमि की ना राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (52) राज -6/12/4 क्रमांक 14.06.2013 के अनुसरण में प्रार्थी से उक्त प्रभावित आराजी 01 वीघा 10 विश्वा 12 वीघा का डाई गुना प्रतिकर शुल्क राशि 47270/- रूपये राजकोश में प्रार्थी से जमा करवाई कर उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर उक्तानुसार राजस्व नकशे में तरमीम करने हेतु सीलदार खर्चिसर को आदेश दिये जाते है। उक्त राशि का प्रभावित रकबा अनुसार राशि का तरण खातेदारों को किया जावे है इस प्रकार उक्त राशि का भुगतान कर उक्त आदेश की पालना जानी है। उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा। यह रास्ता एक वर्जनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

उ- उपरोक्त खससन पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत रहे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश भीना RAS

उपप्रमुख अधिकारी

खर्चिसर (नागौर)

राजकेश भीना RAS

उपमुख्य अधिकारी

खर्चिसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक : 10 03.2021 को सरं इजलास सुनाया गया।

